गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर
जिला–ऊधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)

विश्वविद्यालय फार्म के हल्दी क्षेत्र पर उपलब्ध 479 आम के वृक्षों का विक्रय :–

निविदा– प्रपत्र

निविदा संख्या	:	निविदा शुल्क ₹ 2000.00 +18% जी0एस0टी0 प्रति निविदा
निविदा फार्म मुख्यालय से प्राप्त करने की अन्तिम तिथि व समय	:	दिनांक 10.01.2026 से 23.01.2026 सांय 4.00 बजे तक
निविदा प्रपत्र जमा करने की अन्तिम तिथि व समय	:	दिनांक 24.01.2026 को अपरान्ह् 1.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि व समय	:	दिनांक 24.01.2026 को अपरान्ह् 3.00 बजे

विश्वविद्यालय फार्म के हल्दी पर उपलब्ध 479 आम के वृक्षों के विक्रय का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र0सं0	खण्ड का नाम	प्रजाति	वृक्षों की संख्या	दर अंको में (निविदा की शर्तों कें बिन्दु संख्या–07 के अनुसार जी0एस0टी0 पृथक से देय होगा)	दर शब्दो में (निविदा की शर्तों कें बिन्दु संख्या–07 के अनुसार जी0एस0टी0 पृथक से देय होगा)
1	हल्दी क्षेत्र	आम	479		

मैंने निविदा की शर्तों का अध्ययन कर लिया है व सभी शर्तें मान्य है। धरोहर धनराशि ₹ ....बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 संख्या– .... दिनांक .... के द्वारा संलग्न किया जा रहा है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 सं0 ....
दिनांक..
धनराशि ₹ ....

निविदादाता के हस्ताक्षर ....
पूरा नाम/पिता का नाम ....
ग्राम व पोस्ट ....
तह0...................................... जनपद..
पिन.................................... दूरभाष...
मोबाइल नं0 ....
पैन संख्या ....
बैंक का खाता सं0/शाखा नाम ....

निविदा जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

निविदादाता के हस्ताक्षर

विश्वविद्यालय फार्म निदेशालय

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एंव प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर

जिला–ऊधम सिंह नगर, पिन–263145

1. निविदादाता को निविदा प्रपत्र एवं उसके साथ संलग्न नियम व शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर निविदा के साथ अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
2. निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ पैनकार्ड, आधारकार्ड एवं अन्य दस्तावेज की छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा।
3. निविदादाता को निविदा शुल्क के रूप रू0 2360.00 (निविदा शुल्क रू० 2000.00 + GST @18% रू0 360.00) तथा रू० 2.00 लाख की धनराशि धरोहर राशि (वापसी योग्य) के रूप में एफ0डी0आर0/बैंक ड्राफ्ट गो०ब० पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फार्म खाता के नाम पर देय होगा। बिना धरोहर राशि के कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
4. उच्चतम् निविदादाता को छोड़कर शेष सभी निविदादाताओं को धरोहर राशि निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् वापस की जायेगी। धरोहर राशि पर किसी भी तरह का ब्याज/प्रभार देय नही होगा।
5. स्वीकृत निविदा दरों की 100 प्रतिशत धनराशि निविदा स्वीकृत होने के 07 दिनों के भीतर गो०ब० पन्त विश्वविद्यालय फार्म हल्दी, खाता संख्या 11543877277, भारतीय स्टेट बैंक, हल्दी IFSC Code SBIN0001251 में RTGS/NEFT अथवा ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करनी होगी, अन्यथा वृक्षों के कटान की अनुमति नहीं दी जायेगी।
6. सफल क्रेता को निविदा स्वीकृत होने के 07 दिन में अपने व्यय पर रू0 100.00 नॉनजुडिशिल स्टॉम्प पेपर पर विश्वविद्यालय फार्म के साथ लिखित अनुबन्ध कराना होगा।
7. वृक्षो के विक्रय मूल्य पर निर्धारित व्यापार कर, आयकर, स्टाम्प शुल्क, मण्डी शुल्क एवं जी0एस0टी0 इत्यादि क्रेता को स्वयं अलग से सम्बन्धित विभागों में पूर्ण दर पर जमा करना होगा तथा उक्त जमा शुल्क के चालान/रसीद विश्वविद्यालय फार्म कार्यालय में मूल रूप से जमा करनी होगी। यदि क्रेता के द्वारा उक्त शुल्कों को कम या अधिक जमा किया जाता है अथवा विलम्ब से जमा किया जाता है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व क्रेता का होगा तथा उक्त शुल्कों के जमा होने के पश्चात् माल निकासी की अनुमति दी जायेगी।
8. वृक्ष जैसा है जहॉ है, के आधार पर लेना होगा तथा वृक्षो की गुणवत्ता का कोई उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय फार्म का नहीं होगा। अतः निविदादाता निविदा देने से पूर्व मौके पर वृक्षो का भली–भॉति निरीक्षण कर सकता है। निविदा स्वीकृत हो जाने के उपरान्त वृक्षो में किसी भी प्रकार का दोष पाये जाने की कोई शिकायत मान्य नहीं होगी।
9. वृक्षो की निकासी से पूर्व क्रेता को प्रभागीय वनाधिकारी तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर से निकासी परमिट स्वयं लेना होगा तथा ट्रांजिट शुल्क या अन्य कोई देय शुल्क आदि की धनराशि क्रेता को स्वयं जमा करनी होगी।
10. क्रेता तथा उसके व्यक्तियों द्वारा कार्य प्रारम्भ करने की तिथि से अन्तिम अवधि तक विश्वविद्यालय तथा फार्म की किसी सम्पत्ति का नुकसान पहुॅचाने/असामाजिक कार्य करने एवं अन्य किसी भी प्रकार की गतिविधि में संलिप्त पाये जाने की दशा में सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी क्रेता की होगी।
11. किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकृत अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार गो०ब० पन्त विश्वविद्यालय फार्म में निहित है।

क्रमशः 2

12. क्रेताओं द्वारा उपरोक्त शर्तों में से किसी भी एक शर्त का पालन न करने की दशा में वृक्षों की बिक्री रद्द की जा सकती है, तथा धरोहर राशि/क्रय हेतु जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
13. इस विक्रय के सम्बन्ध में किसी भी विवाद पर निर्णय के लिए कुलपति अथवा नामित प्रतिनिधि, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर सोल आर्विट्रेटर होंगे और उनका निर्णय अन्तिम होगा, जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।
14. निविदा स्वीकृति पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के भीतर वृक्षों का कटान कर भूमि को समतल करना आवश्यक होगा तथा सुरक्षा धनराशि का भुगतान वृक्षों के गड्ढो का भरान पूर्ण करने के पश्चात ही किया जायेगा। वृक्षों का कटान व जड़ों का खुदान एक माह में पूर्ण न करने की स्थिति में एक माह तक रू0 1000 प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क का भुगतान करना होगा। विलम्ब शुल्क (एक माह तक) के पश्चात् ठेका निरस्त कर धरोहर धनराशि जब्त किये जाने का अधिकार विश्वविद्यालय फार्म को होगा।
15. वृक्षों की कटाई एवं माल निकासी वन विभाग द्वारा निकासी खुलने के 15 दिन भीतर पूर्ण करनी होगी। वृक्षों का कटान क्रमवार करना होगा। विद्युत लाइनों, आवासो एवं भवनों के निकट स्थित बाधायुक्त वृक्षों के कटान में स्थिति के अनुसार विभागीय सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।
16. पर्यावरण एवं स्वास्थय प्रबंधन के लिए पंजीकरण का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
17. निविदादाता वन प्रबंध परिषद (Forest Council) से प्रमाणित होना चाहिए तथा प्रमाण पत्र की छायाप्रति निविदा दस्तावेजों के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
18. जोखिम प्रबंधन के लिए पंजीकरण का प्रमाण पत्र का होना अनिवार्य है।
19. निविदा की स्वीकृति के उपरान्त क्रेता को वृक्षों तथा कटी हुई लकड़ी की देखभाल की व्यवस्था स्वंय करनी होगी।
20. क्रेता के कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अपना तथा अपने कर्मियों का परिचय-पत्र सुरक्षा अधिकारी कार्यालय से बनवाना होगा। ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी को परिसर/फार्म में अवांछित गतिविधि में संलिप्त होने के संशय पर परिसर में प्रवेश निषिद्ध कर दिया जायेगा।
21. वृक्षों के संबंध में किसी भी प्रकार की पूछताछ हेतु गो0ब0 पन्त कृ0 एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय फार्म मुख्यालय, हल्दी के परिसम्पत्ति कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
22. निविदा प्रक्रिया में विश्वविद्यालय में कार्यरत किसी भी कर्मचारी/व्यक्ति द्वारा प्रतिभाग नहीं किया जायेगा।

मुख्य महाप्रबन्धक, फार्म

निविदादाता के हस्ताक्षर